भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2396

उत्तर देने की तारीख: 08.07.2019

केन्द्रीय विद्यालयों हेतु भवन

2396. श्री दिलेश्वर कामैतः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि बिहार में चल रहे कई केन्द्रीय विद्यालयों के अपने भवन नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भवनों एवं स्थान की कमी के कारण उच्चतर शिक्षा हेतु कक्षाएं आयोजित कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था नहीं हो पा रही है क्योंकि प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए वांछित स्थान उपलब्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इन विद्यालयों को कब तक भवन उपलब्ध कराने का विचार है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): बिहार राज्य में स्थित 48 केन्द्रीय विद्यालयों (केवि) में से 17 केन्द्रीय विद्यालय नामतः बेला, हरनौत, झाझा, लखीसराय, बक्सर, मोतीहारी, सिवान, बांका, छपरा, एएफएस (पूर्निया), सीआरपीएफ (झाफन), गोपालगंज, हाजिपुर, दरभंगा, बरौनी, औरंगाबाद और महाराजगंज अपने स्वयं के भवनों के बिना संचालित हैं।

(ग): केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मानकों के अनुसार, स्थायी भवनों की कमी के कारण शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है।

(घ): केन्द्रीय विद्यालयों हेतु स्थायी भनों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, जो उचित भूमि की पहचान प्रायोजित प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में लीज औपचारिकताओं के पूरा होने, निर्माण एजेंसी द्वारा नक्शा/अनुमान प्रस्तुत करने, निधि की उपलब्धता और

अपेक्षित अनुमोदन आदि पर निर्भर करती है। इसलिए, इस संबंध में कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

*****